FAX NO. : Apr. 04 2006 05:52PM P1

मध्य प्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

भोपाल, दिनांक 04/04/2006

क्रं.एफ 14–4/2006/42–1

प्रति,

संचालक,
तकनीकी शिक्षा म.प्र.,
भोपाल।

विषयः–ग्रीन कार्ड धारको को दी जाने वाली सुविधा।

1. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.शासन द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 10 – एस 101/2001/17/मेडि– 2 दिनांक 13.05.2003 के द्वारा शासन के निर्देश जारी किये गये थे कि चिकित्सा महाविद्यालयों (शासकीय स्वशासी) तथा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले ग्रीन कार्ड धारक अभिभावक की अध्ययनरत संतान से शैक्षणिक शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा।

2. उक्त परिपत्र के अनुसरण में लोक स्वास्थ्य एवं परियार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10/101/17/मेडि–2 दिनांक 28.10.2005 द्वारा राज्य शासन के निर्णय से स्पष्ट किया है कि जिन ग्रीन कार्ड धारको ने 13.05.2003 से पूर्व नसबंदी कराई है, उन पर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने की शर्त की बाध्यता नहीं होगी।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में स्पष्ट किया जाता है कि प्रदेश के समस्त शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों/अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालयों/पोलीटेकनिक महाविद्यालयों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में ग्रीन कार्ड धारक के अध्ययनरत संतान से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा, बशर्ते कि ग्रीन कार्ड धारक ने दिनांक 13.05.2003 से पूर्व नसबंदी आपरेशन कराया हो।

(एस.बी.एस. भदौरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
भोपाल, दिनांक 04/04/2006

पृष्ठांकन क्रं.एफ 14–4/2006/42–1
प्रतिलिपिः–

1. संचालक, प्रशिक्षण म.प्र. जबलपुर।
2. समस्त जिलाध्यक्ष म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

संचालनालय तकनीकी शिक्षा,मध्यप्रदेश,
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

पृष्ठांकन कमॉक:4/शैक्ष/ए/06/1770 भोपाल,दिनांक 4/4/0

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः–

1–प्राचार्य,समस्त शासकीय/स्वशासी घोषित इंजीनियरिंग महाविद्यालय,पोलीटेकनिक/महिला पोलीटे महाविद्यालय,(म0प्र0)

2–प्राचार्य,समस्त अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पोलीटेकनिक महाविद्यालय(म0प्र0

संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्य प्रदेश

sec-4/Table-B/Latter/73